कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA रुपये FIVE RUPEES
5 रु. COURT भारत पाँच रुपये
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(64)

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017–18 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/0663

मोडीराम पिता मगना गायरी,

निवासी– सरवानिया महाराज तह. जावद जिला नीमच (म.प्र.) ––– निगरानीकर्ता

–– विरूद्ध ––

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड जावद जिला नीमच

–––––– प्रत्यर्थी

श्री महेश योगी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 05-01-2018
05-01-2018
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

कैम्प उज्जैन
से प्राप्त
14-1-18

<u>अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड जावद जिला नीमच के द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2015 एवं न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 190/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 05/12/2017 से दुःखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता :–</u>

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भूरा/18/0663

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री वीरेन्द्रसिंह सिसौदिया द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के पटटा पर बिना किसी विधिक आदेश के किस प्रकार आवेदक का नाम खसरे में इंद्राज किया गया इसके संबंध में जॉच कर कार्यवाही करने हेतु एवं आवेदक को उक्त शासकीय भूमि से बेदखल करते हुये संहिता के प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर शासकीय भूमि को अतिक्रामक से रिक्त कराने के आदेश दिये गये हैं जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	